

**भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**

**अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों  
को कटौती की अनुमति  
की  
निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर  
2016 की प्रतिवेदन संख्या 28**

## विषय सूची

पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii-vii
	सिफारिशों का सार	viii-ix
<b>अध्याय 1: प्रस्तावना</b>		<b>1-5</b>
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	संगठनात्मक ढांचा	1
1.3	हमने यह विषय क्यों चुना	2-3
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
1.5	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	3-4
1.6	लेखापरीक्षा नमूना	4
1.7	आभार	4-5
<b>अध्याय 2: प्रणालीगत मुद्दे</b>		<b>6-36</b>
2.1	प्रस्तावना	6
2.2	अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गई कटौती	7-12
2.3	उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था	13-15
2.4	न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना	15-17
2.5	अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन	18-19
2.6	व्यवसाय बनाम उपक्रम की औषत आय/हानि का संग्रह	20-23
2.7	पात्र इकाइयों से संबंधित अग्रणीत हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगतियां	23-26
2.8	कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का निरूपण	27-29
2.9	संवीक्षा निर्धारण के दौरान किये गए संवर्धनों पर कटौती	29-31
2.10	आंतरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा पर कटौती	31-34
	<b>सिफारिशें</b>	<b>34-36</b>

<b>अध्याय 3: निर्धारण में गलती</b>		<b>37-58</b>
3.1	प्रस्तावना	37
3.2	रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति	38-39
3.3	अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती	39-41
3.4	व्ययों का गलत आबंटन	41-43
3.5	विघटन/एकीकरण के परिणाम	43-44
3.6	पात्र लाभों की गणना में गलतियां	44-46
3.7	संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन बाजार कीमत पर नहीं किया गया-	46-47
3.8	पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती	48-51
3.9	अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन	51-52
3.10	अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती	52-54
3.11	अन्य त्रुटियाँ	54-56
3.12	विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति	56-58
	<b>सिफारिशें</b>	58
<b>अध्याय 4: नियंत्रण क्रियाविधि</b>		<b>59-73</b>
4.1	प्रस्तावना	59
4.2	छोड़ा गया राजस्व	59-60
4.3	धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली निर्धारिती कम्पनियों से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों का अभाव	60-62
4.4	लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र	62-65
4.5	फार्म 10 सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाइलिंग नहीं करना	65-66
4.6	अधिनियम में संशोधन के अनुसार फार्म 10 सीसीबी को संशोधित नहीं किया गया	66-67
4.7	संवीक्षा हेतु 80 आईए मामलों का चयन न करना	67-70
4.8	निर्धारितियों के बिक्री/खरीद दावे की क्रास लिकिंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं	70
4.9	तकनीकी प्रमाणीकरण की आवश्यकता	70-71
	<b>सिफारिशें</b>	71-73
	<b>परिशिष्ट (1 से 25 तक)</b>	75-132